

न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

0116 B - 54/2017

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०

से

29.07.2017

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख

1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्पणी तारीख-सहित

01.07.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3190/सी०आर० दिनांक 19.06.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-50/2017 दिनांक 29.01.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अन्तर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-375 एम०एल० Royal Stag कंपनी का 165 (एक सौ पैसठ) बोतल एवं 180 एम०एल० का 88 (अठारसी) कुल-253 बोतल जप्त किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 02 (दो) बोतल 375 एम०एल० का एवं 04(चार) 180 एम०एल० विदेशी शराब जाँच हेतु रसायन परीक्षक विभाग कुम्हार, बिहार मटना भेजा गया है, तथा शेष 375 एम०एल० का 163 (एक सौ तिरसठ) बोतल एवं 180 एम०एल० का 84(चौरासी) बोतल विदेशी शराब कुल-76.245 लीटर थाना के मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।

375 एम०एल० का 163 (एक सौ तिरसठ) बोतल, एवं 180 एम०एल० का 84 (चौरासी) बोतल विदेशी शराब कुल-76.245 लीटर साइने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का पत्र जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण दिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 सलमन है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड संख्या-50/2017 जप्त विदेशी शराब कुल-76.245 (छिहत्तर लीटर, दो सौ पैतालिस एम०एल०) लीटर को अपने देख रेखा में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में जमा करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थाना, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक खगड़िया की सूचना एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया



समाहर्ता, खगड़िया

Handwritten notes in Hindi: 'दिनांक 01/07/2017', 'पुलिस अधीक्षक, खगड़िया', 'आदेशानुसार', '375 एम०एल० का 163 (एक सौ तिरसठ) बोतल, एवं 180 एम०एल० का 84 (चौरासी) बोतल विदेशी शराब कुल-76.245 लीटर साइने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का पत्र जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण दिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 सलमन है।'